

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम-सह-विशेष न्यायाधीश, सुपौल।

SC/ST- 09/2019
SC/ST P.S. Case No. 3/2019

02/03/24

अभिलेख संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचिका सिंधु देवी के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त 1. मंजु देवी, 2. अखिलेश साह, 3. मिथिलेश साह, 4. मृत्युंजय साह के विरुद्ध धारा 341, 323, 354, 447, 504, 34 भा०दं०वि० एवं 3(i)(r)(s)(wi)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त 1. अखिलेश साह, 2. मिथिलेश साह, 3. मृत्युंजय साह को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए नामजद अभियुक्त अभियुक्त मंजु देवी के विरुद्ध धारा 341, 323, 447, 504 भा०दं०वि० एवं धारा 3(i)(r)(s)(wi)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं० 29/2019 दिनांक 01/07/2019 समर्पित किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी की कंडिका 2, 6, 7, 8 एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से प्राथमिकी की कंडिका 07 में वर्णित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही वास्ते पर्याप्त आधार है।

अतः प्राथमिकी की कंडिका 07 में वर्णित अभियुक्तगण 1. मंजु देवी, 2. अखिलेश साह, 3. मिथिलेश साह, 4. मृत्युंजय साह के विरुद्ध धारा 341, 323, 447, 504 भा०दं०वि० एवं 3(i)(r)(s)(wi)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है। वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तों के उपस्थिति हेतु समन्न निर्गत करें। दिनांक 22/05/24
उपस्थिति वास्ते।

Nirmal Kant Thakur
2/3/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम-
सह-विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०),
सुपौल